हमारी बात

एक बार फिर सबला की बारी आई है। कुछ कर दिखाने का मौका मिले तो हम क्या नहीं कर सकते। पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार हमें दिया गया और हमारी बहनों ने साबित कर दिखाया कि वे मात्र मुहर नहीं है–अपने बूते पर हम हर काम कर गुजर सकते हैं। पंचायती राज में महिला आरक्षण की सफलता के बावजूद लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण पर आज तक बहस जारी है। क्यों? चुनावी घोषणापत्रों में महिला-विकास के वायदों से हमें होशियार रहना होगा। अपने अधिकारों का निडर होकर उपयोग करना होगा। हमें सबको समझाना होगा कि हमें 33 प्रतिशत आरक्षण का कानूनी वायदा नहीं सच्चा सहयोग और खुला दृष्टिकोण चाहिए। हमारे बढ़े हुए कदम अब रुक नहीं सकते। अपनी हिम्मत, अपनी ताकत और अपने संगठन की शक्ति पहचानकर हमें नए रास्तों की खेज करनी है। इस खोज में हम एक दूसरे के साथ हैं–

सत्ता के मद में भूल न जाना
हम एक नहीं हजार हैं
देश की आधी आबादी हैं
हम भी दावेदार हैं।

सुनीता ठाकुर